BHADOHI POLICE

प्रेस-नोट

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही **दिनांक-10.03.2025**

◆जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री के रोकथाम हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆थाना औराई पुलिस टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता

◆अवैध गांजा तस्करी/बिक्री करने वाले गिरोह के दो अंतर्जनपदीय अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे

◆कब्जे से चार पहिया वाहन में कुल-01.918 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद

◆बरामदशुदा गांजा व तस्करी में प्रयुक्त चार पहिया वाहन होंडा सिटी कार की कुल अनुमानित कीमत ₹9,50,000/-(09 लाख 50 हजार रुपये)

◆अपने आर्थिक उद्देश्य से घूम-फिर कर अवैध गांजा बिक्री का करते थे अपराध

जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी के रोकथाम एवं तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम हेतु दिए गए दिये गए निर्देशों के क्रम में दिनांक 09/10.03.2025 की रात्रि में क्षेत्राधिकारी औराई के नेतृत्व में थाना औराई पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान विक्रमपुर ओवर ब्रीज मेदनीपुर के पास से इधर-उधर घूम कर अवैध गांजा बिक्री/तस्करी करने वाले गिरोह के 02 अंतर्जनपदीय अभियुक्तों- किशन सिंह पुत्र सूबेदार सिंह निवासी मुडियापुर सरोई थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही उम्र करीब 31 वर्ष व नीरज मिश्रा पुत्र परमानंद मिश्रा निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना औराई जनपद भदोही उम्र करीब 26 को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से चार पहिया वाहन होण्डा सीटी कार में एक काले कलर के बैग में कुल 01.918 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा (कीमती लगभग 50 हजार रुपए) बरामद किया गया है। बरामदशुदा गांजा व तस्करी में प्रयुक्त चार पहिया वाहन होंडा सिटी कार की कुल अनुमानित कीमत ₹9,50,000/-(09 लाख 50 हजार रुपये) है।

गांजा तस्करी/बिक्री करने वाले गिरोह में शामिल शेष वांछित व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0-96/2025 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया। बरामदशुदा कार के संबंध में वैध कागजात न प्रस्तुत करने पर अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज कर कब्जा पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता

1.किशन सिंह पुत्र सुबेदार सिंह निवासी मुडियापुर सरोई थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही

2.नीरज मिश्रा पुत्र परमानन्द मिश्रा निवासी पुरुषोत्तमपुर थाना औराई जनपद भदोही

बरामदगी-

01.918 कि.ग्रा. नाजायज गांजा व गांजा तस्करी में प्रयुक्त होण्डा सीटी कार

गांजा सहित वाहन की कुल अनुमानित कीमत करीब 09 लाख 50 हजार रुपये

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 वीरेन्द्रनाथ यादव, उ0नि0 नथुनी सिंह, हे0का0 दिनेश कुमार, हे0का0 उपेन्द्र कुमार यादव थाना औराई जनपद भदोही